

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी: राजवीर सिंह चौधरी, अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या 1/2018, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा।

बनाम

१. श्री रमेश चन्द पुत्र श्री भगवान सहाय जाति मीना निवासी काली पहाड़ी थाना सदर दौसा जिला दौसा।

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति : सहायक लोक अभियोजक – पैरोकार सरकार
: गैरसायल उपस्थित।



:- निर्णय :-

दिनांक:- 9.4.2018

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना सदर दौसा जिला दौसा की ओर से मार्फत पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा कि गैर सायल श्री रमेश चन्द पुत्र श्री भगवान सहाय जाति मीना निवासी काली पहाड़ी थाना सदर दौसा जिला दौसा का रहने वाला है जो जुआ-सट्टा करने एवं कराने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है जिससे इलाका में व्यक्तियों की सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है। इसके विरुद्ध थाना महवा में निम्नलिखित मुकदमें दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है तथा अदालत से सजा (जुर्माना) हुआ है-

1. मु०नं० 156/16 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना सदर दौसा जिला दौसा।
2. मु०नं० 304/16 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना सदर दौसा जिला दौसा।
3. मु०नं० 06/17 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. थाना सदर दौसा जिला दौसा।

उपरोक्त प्रकरणों का विवरण देते हुए गैरसायल को धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमा से बाहर निष्कासित करने की प्रार्थना की है। इस्तगासा दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। गैर सायल उपस्थित हुआ। अभियोजन पक्ष की साक्ष्य ली जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभियोजन पक्ष की साक्ष्य की गई। गैर सायल के विरुद्ध दर्ज अभियोगों के संबंध में थानाधिकारी थाना महवा की रिपोर्ट व बयानों में बताया कि गैरसायल के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पेश इस्तगासा में गैर सायल द्वारा तीन बार अपराध कारित किया गया है। गैरसायल थाना क्षेत्र थाना महवा में जुआ-सट्टा करता है एवं अन्य व्यक्तियों को भी जुआ-सट्टा हेतु प्रेरित कर वातावरण को दूषित करता है। गैर सायल की गतिविधियों से समाज में नई पीढी घर गलत असर पड़ रहा है तथा आम जनता की सम्पत्ति व सुरक्षा को खतरा है। इस

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

प्रकरण संख्या 1 / 2018, गुण्डा एक्ट

कारण क्षेत्र में अशान्ति होने का भी खतरा है। सहायक लोक अभियोजक द्वारा बहस में बताया गया कि श्री रमेश चन्द पुत्र श्री भगवान सहाय जाति मीना निवासी काली पहाड़ी थाना सदर दौसा जिला दौसा के इलाके में रहने से जुआ-सट्टा के दुष्प्रेरण एवं शान्ति भंग होने का अंदेशा है। इसके विपक्ष कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने में कतराता है समाज में इनका भय बना हुआ है गांव में सदभावना का वातावरण व शान्ति बनाये रखना आवश्यक है। गैर सायल की अपराधिक गतिविधियों के कारण धारा 2(ख)(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। अतः धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है।

गैर सायल ने जवाब बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी अब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवनयापन कर रहा है तथा उपरोक्त गतिविधियों में शामिल नहीं है। प्रार्थी के खिलाफ संगीन किस्म का आरोप नहीं है। प्रार्थी के खिलाफ धारा 13 आरपीजीओ के केस है इन केसों का निर्णय भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जावे।


बहस उभय पक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया सहायक लोक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। ऐसी स्थिति में गैर सायल के विरुद्ध इस्तगासों में लगाए गए आरोपों को साबित माना जाने के अलावा कोई विकल्प इस न्यायालय के समक्ष शेष नहीं रहता है। इस्तगासा के साथ प्रस्तुत प्रथम सूचना, आरोप पत्र साक्ष्य के रूप में सही मानी जाती है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इलाका हाजा में कानून व्यवस्था व सदभावना एवं शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे समाज कंटकों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे समाज कंटक अपनी कार गुजारियों के द्वारा इलाका हाजा के माहौल को खराब नहीं कर सके। गैर सायल के खिलाफ तीन प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें गैर सायल श्री रमेश चन्द पुत्र श्री भगवान सहाय जाति मीना निवासी काली पहाड़ी थाना सदर दौसा जिला दौसा उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा एक्ट की श्रेणी में आता है।

अतः उक्त विवेचनानुसार गैर सायल श्री रमेश चन्द पुत्र श्री भगवान सहाय जाति मीना निवासी काली पहाड़ी थाना सदर दौसा जिला दौसा को दिनांक 9.4.2018 से 15 दिन की समयावधि के लिए थाना सदर दौसा जिला दौसा की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि थाना क्षेत्र बांदीकुई में निवास करते हुए अपनी उपस्थिति थानाधिकारी बांदीकुई जिला दौसा को दर्ज करवाएगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं थाना अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा आदेश की पालना सुनिश्चित करावें। संबंधित को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 9.4.2018 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।




(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा
दौसा